कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1654/रा0प0/NLRMP/2014 दिनांकः 03 जुलाई, 2014

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01.07.2014 को निर्माण भवन स्थित NBO Building नई दिल्ली में भू–संसाधन विभाग, ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, सुश्री वन्दना जेना की अध्यक्षता में परियोजना स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में राज्य सरकार की ओर से श्री मदन मोहन, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 के साथ प्रतिभाग किया गया। बैठक में लिये गये निर्णय प्रमुखतया निम्नवत् हैं:–

Date 5/07/2014.

494/अ.प.प./2014

अध्यक्ष
राजस्व परिषद्
उत्तराखण्ड

1. राज्य सरकार के पास अवशेष CLR एवं SRA/ULR की अप्रयुक्त राशियां क्रमशः रू0 1214.47 लाख एवं रू0 250.72 लाख को तत्काल भू–संसाधन विभाग को वापस किया जाना है। इस धनराशि के समर्पण के उपरान्त ही भू–संसाधन विभाग राज्य में प्रस्तावित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करेगा। अतः सचिव, राजस्व से अनुरोध है कि वे कृपया वर्णित राशि को अविलम्ब समर्पित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, भू–संसाधन विभाग द्वारा राज्य में NLRMP के अब तक क्रियान्वयित न किये जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया। यह सर्वमान्य विचार था कि राज्य ने भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में अच्छी प्रगति प्राप्त की थी परन्तु NLRMP परियोजना क्रियान्वयित न किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।
3. बैठक से पूर्व भू–संसाधन विभाग के एक कार्मिक द्वारा यह बताया गया कि राज्य द्वारा प्रेषित परियोजना प्रस्ताव के सापेक्ष NLRMP प्रकोष्ठ एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्वीकृति की पुष्टि अभी भी प्रतीक्षित है।
4. सम्मुख प्रस्तुत बैठक एजेण्डा पताका ''क'' के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा के लिये भू–मानचित्रों के Digitization, डाटा सेन्टर सर्वेक्षण/पुर्नसर्वेक्षण /अभिलेख क्रियाओं इत्यादि से संबंधित परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के लागत मानक के अनुसार स्वीकृत किया गया एवं सभी जनपदों के लिये रजिस्ट्री क्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण प्रस्ताव भी स्वीकार किये गये।
5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु पूर्व में अभिलेख क्रियाओं (Record Operation) के अन्तर्गत 05 जनपदों

के 78 राजस्व ग्रामों, जो छूट गये थे, एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों के कम्प्यूटरीकरण के लिये धनराशि स्वीकृत करने का बिन्दु उठाया गया, जिस पर समिति ने यह निर्णय लिया है कि इसका एक स्पष्ट प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय एवं बैठक में इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को पत्रावली पर ही स्वीकृत कर दिया जायेगा। इस प्रस्ताव पर तदनुसार सहमति व्यक्त की गयी।

6. समिति की अध्यक्ष एवं सचिव भू–संसाधन विभाग ने इस बात पर बल दिया कि परियोजना क्रियान्वयन समयबद्ध हो तथा इसकी प्रगति की समीक्षा सामयिक रूप से सभी स्तरों पर सुनिश्चित की जाय।
7. सर्वेक्षण/पुर्नसर्वेक्षण /अभिलेख क्रियाओं में गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार के मॉडलों के अध्ययन की आवश्यकता बताई गयी एवं यह निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों में हुये अभिनव प्रयोगों/Best Practices को राज्य की आवश्यकता के अनुसार Customize किया जा सकता है अथवा दो या तीन राज्य के मॉडलों का हाईब्रिड भी अपनाया जा सकता है ताकि परियोजना का संबंधित घटक त्रुटिविहीन एवं नवीनतम हो।
8. समिति द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि शेष जनपदों में भू–मानचित्रों के Digitization एवं सर्वेक्षण/पुर्नसर्वेक्षण /अभिलेख क्रियाओं के परियोजना का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र प्रेषित किया जाय।

उक्त के दृष्टिगत हमें तहसील/जनपद/मण्डल/परिषद/शासन स्तर पर समीक्षा एवं अनुश्रवण की पुख्ता व्यवस्था करना आवश्यक है एवं स्वीकृत परियोजनाओं का इस प्रकार क्रियान्वित किया जाय कि परियोजना के सभी घटक त्रुटिविहीन रूप से क्रियान्वित हों एवं भू–मानचित्रों के Digitization एवं सहवर्ती घटकों से संबंधित परियोजना को अवशेष सभी 11 जनपदों के लिये स्वीकृत कराया जा सके। सर्वप्रथम उपरिवर्णित सफल राज्यों में अध्ययन दल जिसमें राज्य, मण्डल, जनपद एवं तहसील स्तर का प्रतिनिधित्व हो , को भेजा जाना आवश्यक है।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री मदन मोहन, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0।
2. सुश्री शालिनी नेगी, स्टाफ ऑफिसर, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।